FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0016 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 25/01/2024 18:41 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 12/01/2024 **Date To (दिनांक तक):** 24/01/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:30 बजे **Time To (समय तक):** 16:25 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 25/01/2024 **Time (समय):** 17:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 25/01/2024 18:41:43 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 26 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** Nasirabad Ajmer

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Nikhil Gurjar

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Mukesh Gurjar

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1999 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	**वर्तमान पता**	Gurjar Dharmshala ke Pass, Army Supply Depo ke Pass, Nasirabad Ajmer, AJMER, RAJASTHAN, INDIA
2	**स्थायी पता**	Gurjar Dharmshala ke Pass, Army Supply Depo ke Pass, Nasirabad Ajmer, AJMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-7300155375

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Address (पता)**
1	Rajendar Prasad Khateek		पिता:Shaitan Prasad Khateek	1. Soliya Kekdi,Sarwar,AJMER,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	**Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))**
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अजमेर विषयः- रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथो पकडवाने बाबत।महोदय, उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि मै निखिल गुर्जर नसीराबाद का रहने वाला हूं तथा ट्रासंपोर्ट ऑफिस मे काम करता हूं। मेरे पास एक वैगनार कार आरजे 01 9588 है जिसमें एलपीजी गैस किट लगा रखा है मै मेरी उक्त कार मै दिनांक 10.01.24 को गैस भर रहा था तभी पुलिस थाना नसीराबाद सिटी का कानिस्टेबल राजेन्द्र सिंह व उसके साथी रिकूं आये तथा राजेन्द्र ने गैस भरने की मशीन की फोटो खींच ली। इसके बाद मेरे को कहने लगा कि तू गैस भरने का धन्धा करता है सीआई साहब की मंथली के 8-10 हजार रूपये देने पडेंगें। अब मुझे लगतार फोन कर थाने पर बुला रहा है। कार्यवाही करावें। मै रिश्वत नही देना चाहता हुं। 12.01.24-प्रार्थी-एसडी-हस्ताक्षर निखिल 7300155375
कार्यावाही पुलिस एसीबी अजमेरसमय 5.30 पीएम दिनांक:-12.01.2024उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट परिवादी श्री परिवादी श्री निखिल गुर्जर पुत्र श्री मुकेश गुर्जर उम्र 25 साल निवासी गुर्जर धर्मशाला के पास आर्मी सप्लाई डिपो के पास नसीराबाद पुलिस थाना नसीराबाद शहर जिला अजमेर ने उपस्थित कार्यालय होकर मन् निरीक्षक पुलिस मीरां बेनीवाल के समक्ष पेश की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादी को पढकर सुनाया गया तो स्वंय का हस्त लिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर परिवादी से दरियाफ्त की तो बताया कि '' हमारे क्षैत्र का बीट कानि0 राजेन्द्र चन्देल जिसके मोबाईल नम्बर 8094692805 है आये दिन हमारे घर आकर तंग करता है तथा कहता है कि तुम लोग गैस किट लगी हुई गाडियों मे अवैध एलपीजी गैस रिफलिंग का काम करते हो कल कोई हादसा हो गया तो मेरा बीट है मेरी जिम्मेदारी है मै फोकट मे रिस्क क्यू लूं। मुझे 8-10 हजार रूपये मंथली को दो तो मै यह बात सीआई साहब के नॉलेज मे डाल दूंगा और कुछ रूपये सीआई साहब को भी दूंगा। मैने व मेरे पिताजी ने कहा कि साहब हम तो केवल हमारी कार मे ही गैस भरते है, फिर भी नही माना व मुझे फोन करके बार बार मिलने के लिये थाने पर बुला रहा है और रिश्वत मांग रहा है।'' पूछने पर परिवादी ने बताया कि मेरी राजेन्द्र कानिस्टेबल से कोई रंजिश नही व नाही कोई उधार का लेनदेन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाता है। अतः रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही होगी। परिवादी ने बताया कि मै अभी थाने पर जाकर राजेन्द्र से रिश्वत की बात कर लूंगा। इस पर श्री रामचन्द्र एएसआई को बुलाकर परिवादी से आपस मे परिचय करवाकर रिश्वत मांग के सत्यापन करवाये जाने हेतु कार्यालय के डिजीटल वायॅस रिकॉर्डर मे नया मैमोरी कार्ड डालकर सुपुर्द किया। परिवादी के साथ नसीराबाद जाकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने के निर्देश दिये।-एसडी-(मीरां बेनीवाल)निरीक्षक पुलिसभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर दिनांक समय 05.10 पीएम दर्ज रहे कि मामला हाजा में दिनांक 12.01.2024 को सांय 6 पीएम पर श्री रामचन्द्र सहायक उप निरीक्षक पुलिस को परिवादी के साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु नसीराबाद भिजवाया गया था व उसी रोज मन् निरीक्षक पुलिस के आवश्यक कार्य होने से आकस्मिक अवकाश मे रवाना हो गई थी। दिनांक 13.01.2024 को सुबह 10 ए.एम. पर रामचन्द्र सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये वाट्सएप कॉल बताया कि ''दिनांक 12.01.2024 को मै परिवादी के साथ नसीराबाद गया एंव परिवादी को नसीराबाद थाने में रात्रि करीब 8 पीएम पर भेजा था परन्तु संदिग्ध कर्मचारी राजेन्द्र थाने पर उपस्थित नही मिला जिस पर उसके मोबाईल पर फोन मिलाया तो उसने फोन नही उठाया। इस पर रवाना हो दिनांक 13.01.2024 को कार्यालय मे उपस्थित आया। वायॅस रिकॉर्डर मेरे पास सुरक्षित रखा गया।'' दिनांक 14.01.2024 को परिवादी ने जरिये वाट्सएप कॉल कर रामचन्द्र सहायक उप निरीक्षक पुलिस को बताया कि राजेन्द्र आज मेरे घर पर आ सकता है इसलिये आप वायॅस रिकॉर्डर लेकर मेरे घर पर आ जाओ जिस पर श्री रामचन्द्र एएसआई सुबह 7 एएम पर कार्यालय से रवाना होकर नसीराबाद पहुंचा एंव बाद सत्यापन दोपहर 1 पीएम पर उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये वाट्सएप कॉल कर बताया कि ''परिवादी की आरोपी राजेन्द्र से उसके घर पर बात हो गई है तथा राजेन्द्र कानिस्टेबल ने परिवादी से 3000 रूपये मंथली रिश्वत राशि की मांग की है मैने वायॅस रिकॉर्डर सुना तो 3000 रूपये की मांग होना पाया गया है।'' इस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने दिनांक 14.01.2024 को ही जरिये दूरभाष ही रामचन्द्र सहायक उप निरीक्षक को निर्देश दिये कि मै आकस्मिक अवकाश से दिनांक 17.01.2024 को शाम को वापस आउंगी तब रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुन लूंगी आप रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखे। इमरोजा मन् निरीक्षक पुलिस ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का डिजीटल वायॅस रिकॉर्डर कार्यालय की अलमारी से निकालकर सुना तो

3000 रूपये रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होना पाया गया। श्री रामचन्द्र सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि आरोपी राजेन्द्र की ड्यूटी उर्स मेले मे चल रही है। अतः दिनांक 22.01.2024 के पश्चात ही ट्रेप कार्यवाही सम्भव हो सकेगी। वायॅस रिकॉर्डर को मैने कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। दिनांक 23.01.2024 समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री निखिल गुर्जर कार्यालय मे उपस्थित आया तथा अवगत करवाया कि कल से राजेन्द्र कानिस्टेबल के कई बार मेरे पास कॉल आये है आज मै उसे दी जाने वाली रिश्वत राशि 3000 रूपये की व्यवस्था करके आया हूं। आज आगे की कार्यवाही की जा सकती है। समय 11.50 ए.एम. पर दो स्वतन्त्र गवाह तलबी हेतु अधीक्षण अभियन्ता सिचांई विभाग अजमेर के नाम तहरीर जारी की जाकर श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक के साथ भिजवाई गई। समय 01.05 पीएम पर श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक मय स्वतन्त्र गवाहो के उपस्थित आये मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर उनका परिचय प्राप्त किया गया तो अपना परिचय अजीत सिंह राठौड कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन विभाग वृत कार्यालय अजमेर व बालेश मुहाल खण्डीय लेखाकार,कार्यालय अधीशाषी अभियन्ता खण्ड द्वितीय जल संसाधन विभाग अजमेर के रूप मे दिया। पास ही मौजूद परिवादी का आपस मे परिचय करवाया जाकर ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध मे संक्षिप्त में अवगत करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व दिखाया गया। दोनो गवाहान से टेªेप कार्यवाही मे स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनो ने अपनी-अपनी सहमति प्रदान की तथा प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। वायॅस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड मे दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश गवाहान को वायॅस रिकॉर्डर चालू कर सुनाये गये। समय 02.00 पीएम पर परिवादी श्री निखिल गुर्जर को दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 06 नोट कुल 3000 रूपये पेश किये, जिन पर श्री हरी सिंह सहायक उप निरीक्षक से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर नोटो पर श्री हरी सिंह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री निखिल गुर्जर की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडर युक्त नोट रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.30 पीएम पर परिवादी निखिल गुर्जर को श्री रविन्द्र सिंह कानि 308 सहित उसकी कार से रवाना कर ,मन् निरीक्षक पुलिस मीरां बेनीवाल मय श्री रामचन्द्र सहायक उप निरीक्षक,श्रीमती रूचि महिला कानि0,गवाह श्री अजीत सिंह बालेश के प्राईवेट वाहन से, श्री नरेश चौहान निरीक्षक पुलिस,, श्री कैलाश चारण हैड़ कानि0 नम्बर 62, श्री महेश कुमार हैड कानि नम्बर 10 व किरण कुमार कनिष्ठ सहायक के प्राईवेट वाहन मय वायॅस रिकॉर्डर मय नये मैमोरी कार्ड, मय लैपटॉप प्रिन्टर,ट्रेप बॉक्स आदि के प्राईवेट वाहन से वास्ते ट्रेप कार्यवाही नसीराबाद की तरफ रवाना हुये। समय 03.25 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के परिवादी के निवास स्थान से थोडी देर पहले पहुंचे। इससे पूर्व समय 03.14 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से आरोपी मोबाईल नम्बर बात करवाई गई तो आरोपी ने परिवादी के घर पर ही आने के लिये कहा उक्त वार्ता को वायॅस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया। रवाना होकर वाहनो से परिवादी के घर के समीप छिपाव हासिल करते हुये खडा करवाया गया। श्री रविन्द्र सिंह को वायॅस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर परिवादी व श्री रविन्द्र सिंह को परिवादी के घर पर रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के वाहन में मुकीम रहे। समय 03.40 पीएम पर परिवादी मन् निरीक्षक के पास उपस्थित आया तथा अवगत करवाया कि अभी अभी राजेन्द्र मोटर साईकिल से मेरे घर के सामने से गुजरा है मेरा भाई बाहर की तरफ ही खडा था उसने राजेन्द्र को मोटर साईकिल से धीरे धीरे जाते हुये देखा है हो सकता है मै उसे बाहर नजर नही आया इसलिये वो सीधे ही चला गया हो। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि वापस अपने घर जावे आरोपी कभी भी रिश्वत लेने हेतु आ सकता है। समय 04.10 पीएम पर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 व परिवादी मन् निरीक्षक के पास उपस्थित आये परिवादी ने बताया कि अभी थोडी देर पहले मैने राजेन्द्र के मोबाईल फोन पर कॉल किया तो उसने फोन नही उठाया हो सकता है वह किसी काम मे व्यस्त हो इसलिये हो सकता है आज रिश्वत लेने नही आये। जिस पर परिवादी से रिश्वत राशि एक सफेद कागज के लिफाफे मे रखवाकर प्राप्त की गई तथा श्री रविन्द्र सिंह से वायॅस रिकॉर्डर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा। समय 04.30 पीएम पर परिवादी को रूख्सत कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान सहित प्राईवेट वाहनो से एसीबी चौकी अजमेर के लिये रवाना हुये। समय 05.30 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान सहित प्राईवेट वाहनो से एसीबी चौकी अजमेर पहुंची। रिश्वत राशि का लिफाफा व वायॅस रिकॉर्डर कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखा। गवाहान को रूख्सत किया गया। समय 06.35 पीएम पर श्री रामचन्द्र सहायक उप निरीक्षक पुलिस ने जरिये दूरभाष अवगत करवाया कि अभी अभी परिवादी ने जरिये वाट्सएप कॉल अवगत करवाया कि उसके पास राजेन्द्र कानि0 का कॉल आया उसने मुझे कहा कि अभी आजा मैने कहा कि मै बाहर हूं तो उसने सुबह 11 बजे मिलने के लिये कहा। जिस पर समस्त स्टॉफ एंव स्वतन्त्र गवाहान को 10 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु जरिये मोबाईल फोन निर्देश दिये गये। दिनांक 24.01.2024 समय 10.00 ए.एम पर स्वतन्त्र गवाहान एंव एसीबी स्टॉफ उपस्थित है। कार्यालय की अलमारी मे से वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के निकाला जाकर अपने पास सुरक्षित रखा। रिश्वत राशि का लिफाफा भी हमराह लिया गया। समय 10.20 ए.एम मन् निरीक्षक पुलिस मीरां बेनीवाल मय श्री रामचन्द्र सहायक उप निरीक्षक,श्रीमती रूचि महिला

कानि0, श्री महेश कुमार हैड कानि नम्बर 10 ,गवाह श्री अजीत सिंह के प्राईवेट वाहन से, श्री नरेश चौहान निरीक्षक पुलिस,, श्री कैलाश चारण हैड़ कानि0 नम्बर 62, गवाह श्री बालेश व किरण कुमार कनिष्ठ सहायक के प्राईवेट वाहन मय वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड, मय लैपटॉप प्रिन्टर,ट्रेप बॉक्स आदि के प्राईवेट वाहन से वास्ते ट्रेप कार्यवाही नसीराबाद की तरफ रवाना हुये। समय 11.15 ए.एम मन् निरीक्षक पुलिस मीरां बेनीवाल मय हमराहीयान के परिवादी के घर पर पहुंची जंहा पर परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी ने बताया कि मैने अभी अपने स्तर पर मालूम किया तो राजेन्द्र का अभी अभी रोडवेज बस स्टेण्ड के पास होना जानकारी में आया है। समय 11.24 ए.एम परिवादी के मोबाईल फोन से आरोपी के मोबाईल फोन पर वार्ता करवाई जाकर वार्ता को रिकॉर्ड किया गया वार्ता मे आरोपी द्वारा स्वंय का बाहर होना व एक दो घण्टे मे आने की कहा। जिस पर सफेद लिफाफे मे रखी हुई रिश्वत राशि परिवादी से ही निकलवाकर उसी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखवाई गई एंव लिफाफे को नष्ट किया गया। श्री रविन्द्र सिंह को वायॅस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आरोपी के आने पर रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। श्री कैलाश चारण हैड कानि0 व श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को परिवादी के घर पर ही मुकीम रहने की हिदायत कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के अपनी अपनी उपस्थिति छिपाते हुये वाहनो मे ही परिवादी के घर के आसपास मुकीम रही। समय 02.45 पीएम तक भी आरोपी के उपस्थित नही आने पर श्री कैलाश चारण हैड कानि0 को जरिये वाट्स एप कॉल निर्देश दिये कि एक बार आरोपी राजेन्द्र के बारे मे जानकारी हेतु परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर सुपुर्द कर पुलिस थाना नसीराबाद शहर रवाना करें तथा मै भी हमराहीयान सहित नसीराबाद शहर थाने की तरफ रवाना हो रही हूं। समय 03.15 पीएम पर श्री कैलाश चारण हैड कानि0 ने जरिये वाट्सएप कॉल अवगत करवाया कि परिवादी नसीराबाद थाने गया तथा थाने के आसपास भी आरोपी राजेन्द्र की तलाश की परन्तु वह नही मिला जिस पर रिकॉर्डर वापस प्राप्त कर बन्द कर लिया है तथा हम वापस परिवादी के निवास स्थान पर आ गये है। जिस पर निर्देश दिये गये कि परिवादी के निवास स्थान पर ही मौजूद रह कर आरोपी का इन्तजार करे। मन् निरीक्षक पुलिस भी मय हमराहीयान के परिवादी के घर के आसपास ही मुकीम हुई। समय 04.25 पीएम पर परिवादी निखिल गुर्जर ने जरिये मोबाईल फोन श्री रविन्द्र सिंह हैड कानि0 को रिश्वत राशि के आदान प्रदान होने की सूचना दी जिस पर श्री कैलाश चारण हैड कानि द्वारा जरिये मोबाईल फोन मन् निरीक्षक पुलिस को सूचना दी कि अभी अभी राजेन्द्र प्रसाद खटीक कानि0 परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त कर बोलेरा वाहन 112 जिस पर बत्ती लगी हुई है में बैठकर रवाना हुआ है हम परिवादी की मोटर साईकिल से उक्त वाहन का पीछा कर रहे है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा हमराहीयान को सूचित कर उक्त वाहन का पीछा कर नवल राम जी के बेरी के पास छोटा बगीचा(जवाहर लाल उधान) सिटी रोड नसीराबाद पहुंची जंहा पर उक्त वाहन 112 खडा मिला जिसे स्टॉफ के सदस्यो द्वारा रोका हुआ था। पास में ही परिवादी भी मौजूद था। परिवादी ने मन् निरीक्षक पुलिस को उक्त वाहन 112 मे ड्राईवर के पास वाली आगे की सीट पर बैठे एक नव युवक जिसने काले रंग की जिंस पेन्ट एंव हल्के भूरे रंग का टी शर्ट पहने की ओर इशारा कर बताया कि यही राजेन्द्र प्रसाद खटीक कानिस्टेबल है जिसने अभी थोडी देर पहले मेरे घर के बाहर उक्त वाहन 112 में बैठकर आया व वाहन मे बैठे बैठे ही मुझे हाथ के ईशारे से अपने पास बुलाया और रूपये की मांग की जिस पर मैने कहा कि घर से लेकर आता हूं। मै मेरे घर के अन्दर गया तथा श्री रविन्द्र जी से वायॅस रिकॉर्डर चालू कर प्राप्त कर वापस मुख्य सडक पर इनके पास आया तब तक ये मेरे घर से थोडा आगे की तरफ चले गये तथा वाहन से उतरकर सडक के किनारे खडे थे। वाहन को लेकर ड्राईवर थोडा आगे की तरफ चला गया था। मैने इनको इनकी मांग के अनुसार 3000 रूपये दिये तथा राजेन्द्र प्रसाद खटीक जी ने 3000 रूपये अपने हाथ में लेकर पेन्ट की जेब मे रख लिये तथा मेरे पास से रवाना हो गये इसी दौरान रविन्द्र जी से मेरी मोबाईल फोन पर बात हुई व मैने उन्हे मेरे घर के बाहर बुलाया तथा रिश्वत राजेन्द्र प्रसाद खटीक द्वारा प्राप्त करने बाबत अवगत करवाया जिस पर श्री कैलाश जी व रविन्द्र जी तुरन्त ही मेरे पास आ गये। रविन्द्र जी ने मेरे से वायॅस रिकॉर्डर प्राप्त कर दोनो मेरी मोटर साईकिल से रवाना हुये मै भी दूसरी मोटर साईकिल इनके पीछे पीछे रवाना हुआ तथा इस जगह पर कैलाश जी व रविन्द्र जी ने उक्त वाहन को रोक रखा था। मन् निरीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने के प्रयोजन से अवगत करवाते हुये उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो अपना नाम राजेन्द्र प्रसाद खटीक पुत्र श्री शैतान खटीक जाति खटीक उम्र 27 साल निवासी गांव सौलिया पुलिस थाना सरवाड तहसील सरवाड जिला केकडी हाल कानिस्टेबल नम्बर 2938 पुलिस थाना नसीराबाद शहर जिला अजमेर होना बताया। श्री राजेन्द्र प्रसाद खटीक को परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे पूछा तो हाथ जोड कर माफी मांगने लगा । पुनः पूछने पर बताया कि '' मैने इससे कोई रूपये नही मांगे इसने ही मुझे जाते हुये को रोककर अभी तीन हजार रूपये दिये है'' जिस पर पुनः पूछा कि आपने 3000 रूपये किस बात के लिये ? तो आरोपी राजेन्द्र प्रसाद खटीक ने बताया कि ''इसके पिता और ये दोनो इनके घर के पास टीन शेट के नीचे एलपीजी गैर भरने का काम करते है मैने इस काम को बन्द करने के लिये कहा तो इसने कहा कि मै आपको खर्चा पानी दे दूंगा काम बन्द नही करूंगा। आज इसने तीन हजार रूपये दिये।'' तीन हजार रूपये रिश्वत राशि कंहा पर है के सम्बन्ध मे पूछने पर अपनी पेन्ट की सामने की बांयी जेबं मे होना बताया। मौके पर काफी वाहनो की आवाजाही होने से वाहनो को साईड मे खडा करवाया जाकर, पास ही स्थित दुकान से पानी की बोतल मंगवाई गई जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो पारदर्शी प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल

रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद खटीक के दाहिने हाथ व बायें हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवण का रंग हल्का मटमेला एवं बांये हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर क्रमशः हल्का मटमैला एवं हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर चारो शीशीयों को सुरक्षित रखा गया। आरोपी के निशादेही से उसकी पहनी हुई जिसं पेन्ट की सामने की बांयी जेब की तलाशी गवाह श्री बालेश से लिवाई गई तो 500-500 रूपये के कुछ नोट निकाले जिनका मिलान दोनो गवाहान को पूर्व की मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी से करने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का मिलान कर हुबहु होना तथा 500-500 रूपये के 6 नोट कुल 3000 रूपये होना बताया गया। उक्त नोटो को गवाह श्री बालेश के पास सुरक्षित रखवाये गये। इसी दौरान श्री रविन्द्र सिंह कानिस्टेबल ने वायॅस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया जो बन्द अवस्था में था। इसी दौरान तत्पश्चात वाहन के ड्राईवर का नाम पता पूछा तो अपना नाम बोदूराम पुत्र श्री रतन लाल वर्मा जाति रैगर उम्र 20 साल निवासी ग्राम इन्दौली तहसील मालपुरा जिला टोंक मोबाईल नम्बर 7240140628 होना व प्राईवेट व्यक्ति बताते हुये उक्त बोलेरो वाहन 112 नम्बर आरजे 14 टीएफ 6757 संविदा पर पुलिस थाना नसीराबाद सिटी मे लगी हुई है पर ठेकेदार फर्म के मार्फत चालक लगा होना बताया। जिस पर उक्त व्यक्ति को आरोपी राजेन्द्र प्रसाद खटीक कानिस्टेबल द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने की जानकारी के सम्बन्ध मे पूछा तो बताया कि ''राजेन्द्र प्रसाद खटीक जी एक घर के बाहर रूके तथा घर के बाहर खडे हुये व्यक्ति को अपने पास बुलाया। यह व्यक्ति मैन रोड पर आया इनसे बात की तथा अपने घर मे चला गया। राजेन्द्र प्रसाद खटीक जी ने मुझे गाडी थोडी आगे ले जाने के लिये कहा, थोडा सा आगे जाकर राजेन्द्र प्रसाद खटीक जी गाडी से उतर गये तथा वापस पीछे पैदल पैदल ही सडक पर चले गये तथा थोडी देर बाद ही वापस आकर गाडी में बैठ गये तथा हम थाने की तरफ आ ही रहे थे कि छोटी बगीची के पास आपकी टीम ने हमें रोक लिया''। इसी दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अजमेर भी उपस्थित आये। मौके पर काफी भीड होने के कारण आरोपी राजेन्द्र प्रसाद खटीक को हमराह लिया जाकर मय धोवण की शीशीयां, बरामद शुदा रिश्वत राशि मय प्राईवेट एंव सरकारी वाहनो, बोलेरो 112 वाहन मय चालक श्री बोदूराम के समस्त हमराहीयान सहित पुलिस थाना नसीराबाद शहर पहुंचें। थाने पर उपस्थित श्री चम्पालाल हैड कानि नम्बर 477 को तथ्यो से संक्षिप्त मे अवगत करवाया जाकर थाना परिसर स्थित एक कक्ष में बैठकर आगामी कार्यवाही करते हुये दाहिने हाथ व बाये हाथ के धोवण की शिंशियों पर मार्क क्रमशः आरएच 1 , आरएच 2, एलएच 1 व एलएच 2 अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। गवाह श्री बालेश के पास सुरक्षित रखी हुई रिश्वत राशि को े एक पीले कागज के लिफाफे में रखकर सिल्ड कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क ''एन'' अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी के पहनने के लिये पास ही स्थित सरकारी आवास से जिंस पेन्ट मंगवाई जाकर आरोपी की पहनी हुई जिसं पेन्ट को ससम्मान उतरवाया जाकर दूसरी जिन्स पेन्ट को पहनवाया गया। आरोपी की पहनी हुई जिंस पेन्ट बरंग काला की सामने की बांयी जेब जंहा से रिश्वत राशि बरामद हुई है का धोवण लिये जाने हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी प्लास्टिक का नया डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उसमें थाना परिसर से साफ पानी भरवाकर उक्त गिलास मे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद खटीक की काले रंग की जिन्स पेन्ट की सामने की बांयी जेब को उलटवाकर डुबाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो साफ कांच की शिंशियो मे आधा-आधा भरकर मार्क पी 1, पी 2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील्ड चिट किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की जिंस पेन्ट बरंग काला जिसकी सामने की बांयी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई है। उक्त जिन्स पेन्ट की जेब को सुखाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर जिन्स पेन्ट को फोल्डकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील्डचिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क पी अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात थाने पर उपस्थित श्री पूरण मल सहायक उप निरीक्षक को पुलिस थाना नसीराबाद सिटी के बीट चार्ट 2024 की प्रति प्रस्तुत करने की कहने पर उसके द्वारा बीट चार्ट 2024 की प्रमाणित प्रति कुल पृष्ठ 3 क्रम संख्या 1 से 32 प्रस्तुत की जिसका अवलोकन किया गया तो आरोपी राजेन्द्र प्रसाद खटीक कानिस्टेबल नम्बर 2938 को क्रम संख्या 22 पर अकिंत काली माई मोहल्ला,बाबू मोहल्ला क्रम संख्या 23 पर अंकित सुतर खाना मोहल्ला एंव लोहार बस्ती बीट का आवंटन होना पाया गया है। इस पर आरोपी राजेन्द्र प्रसाद खटीक को परिवादी निखिल गुर्जर का मकान किस क्षैत्र मे होने बाबत पूछा तो बताया कि इसका मकान सुतर खाना मोहल्ला मे स्थित है जो मेरी बीट मे ही है। आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद खटीक की परिवादी से आज सुबह 11.24 ए.एम. पर जरिये मोबाईल फोन वार्ता करवाई गई थी तो आरोपी द्वारा स्वंय का बाहर होना तथा एक-दो घण्टे में आने का कहा इस सम्बन्ध मे आरोपी राजेन्द्र प्रसाद खटीक से पूछा तो बताया कि ''मै डाक देने अजमेर गया हुआ था मै बस से वापस नसीराबाद रोडवेज स्टेण्ड उतरा व फोन कर 112 वाहन के चालक बोदूराम को बस स्टेण्ड बुलाया तथा वंहा से सीधे ही हम दोनो निखिल के घर की तरफ होते हुये थाने पर आ रहे थे तो निखिल अपने घर के बाहर ही मिल गया था। मै थाने पर नही

गया था इसलिये अभी मेरी थाने पर आमद भी नही है।" रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जो वायॅस रिकॅार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड है वार्ता को रिकॉर्डर चालू करके सुना गया तो आरोपी व परिवादी के मध्य वार्ता होना पाया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद खटीक कानिस्टेबल पुलिस थाना नसीराबाद शहर जिला अजमेर द्वारा परिवादी श्री निखिल गुर्जर के पिता श्री मुकेश गुर्जर द्वारा किये जा रहे विभिन्न वाहनो में एलपीजी गैस रिफलिंग कार्य को निर्बाध रूप से करने देने की एवज में परिवादी से दिनांक 14.01.2024 को 3000 रूपये मंथली रिश्वत राशि की मांग करना एंव आज दिनांक 24.01.2024 को अपनी मांग के अनुसरण में परिवादी के घर पहुंचकर सामने स्थित सडक पर रिश्वत राशि 3000 रूपये परिवादी से ग्रहण की गई जो आरोपी की पहनी हुई जिन्स पेन्ट की सामने की बांयी जेब से बरामद होना पाया गया है। आरोपी के बाये हाथ व पहनी हुई जिंस पेन्ट की सामने की जेब के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद खटीक पुत्र श्री शैतान खटीक जाति खटीक उम्र 27 साल निवासी गांव सौलिया पुलिस थाना सरवाड तहसील सरवाड जिला केकडी हाल कानिस्टेबल नम्बर 2938 पुलिस थाना नसीराबाद शहर जिला अजमेर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन 2018) 1988 का कारित करना पाया जाने पर आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद खटीक कानिस्टेबल नम्बर 2938 को जरिए फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एंव हाथ धुलाई एंव जब्ती तथा नक्शा मौका घटनास्थल,फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की। मन् निरीक्षक पुलिस, मय, स्वतन्त्र गवाहान, मय शेष एसीबी स्टॅाफ मय जब्तशुदा आर्टिकल, ट्रेप बॉक्स, वॉयस रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिंटर आदि के प्राईवेट वाहनो से एसीबी चौकी अजमेर के लिये रवाना हुई। समय 09.35 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के एसीबी चौकी अजमेर पर पहुंची। जब्तशुदा आर्टिकल, वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। दिनांक 25.01.2024 समय 09.00 ए.एम. पर परिवादी श्री निखिल गुर्जर एंव गवाह श्री अजीत सिंह तथा श्री गोपेश कार्यालय मे उपस्थित आने पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रासंक्रिप्ट व डीवीडी तैयार की गई। समस्त आर्टिकल मालखाना में जमा करने हेतु मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किये गये। उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद खटीक कानिस्टेबल पुलिस थाना नसीराबाद शहर जिला अजमेर द्वारा परिवादी श्री निखिल गुर्जर के पिता श्री मुकेश गुर्जर द्वारा किये जा रहे विभिन्न वाहनो में एलपीजी गैस रिफलिंग कार्य को निर्बाध रूप से करने देने की एवज में परिवादी से दिनांक 14.01.2024 को 3000 रूपये मंथली रिश्वत राशि की मांग करना एंव दिनांक 24.01.2024 को अपनी मांग के अनुसरण में परिवादी के घर पहुंचकर सामने स्थित सडक पर रिश्वत राशि 3000 रूपये परिवादी से ग्रहण की गई जो आरोपी की पहनी हुई जिन्स पेन्ट की सामने की बांयी जेब से बरामद होना पाया गया है। आरोपी के बाये हाथ व पहनी हुई जिंस पेन्ट की सामने की बांयी जेब के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद खटीक पुत्र श्री शैतान खटीक जाति खटीक उम्र 27 साल निवासी गांव सौलिया पुलिस थाना सरवाड तहसील सरवाड जिला केकडी हाल कानिस्टेबल नम्बर 2938 पुलिस थाना नसीराबाद शहर जिला अजमेर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन 2018) 1988 का कारित करना पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है। (मीरां बेनीवाल) निरीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ...कार्यवाही पुलिस... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती मीरां बेनीवाल, निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद खटीक पुत्र श्री शैतान खटीक हाल कानिस्टेबल नम्बर 2938 पुलिस थाना नसीराबाद शहर जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 16/2024 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर अनुसंधान अधिकारी श्री दीनदयाल वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर को सुपुर्द कर प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई जिसकी रोजनामचा रपट संख्या 392/2024 दिनांक 25.01.2024 पर अंकित की गई। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांकः- 73-76 दिनांक 25.01.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर। 2.उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर। 3.पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर।4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर। पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** DEENDAYAL VAISHNAV **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 25/01/2024 18:44:27

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/07/1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)